

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-८ डी०(पुनर्विनियोग)-२३-११/२०१६- ६९

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

९.१.१७

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में गैर योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-०१ अनुसूचित जातियों का कल्याण-२७७-शिक्षा, ०००२-"छात्रवासों का संधारण" विपत्र कोड- N2225012770002 के १३०४-विद्युत प्रभार ईकाई में ₹३,६३,८७,०००/- (तीन करोड़ तीरसठ लाख सतासी हजार रु०) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-०१ अनुसूचित जातियों का कल्याण-००१-निदेशन और प्रशासन, ०००१-निदेशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड- N2225010010001" के अन्तर्गत २८०१- व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई में ₹२४,००,०००/- (चौबीस लाख रुपये) मात्र का पुनर्विनियोग कर उपबंध के स्वीकृति का प्रस्ताव।

आदेश- स्वीकृत ।

२- बिहार वित्तीय नियमावली भाग १ के नियम ४८९ योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-०१ अनुसूचित जातियों का कल्याण-००१-निदेशन और प्रशासन, ०००१-निदेशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड- N2225010010001" के अन्तर्गत २८०१-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई में ₹२४,००,०००/- (चौबीस लाख रुपये) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है । पुनर्विनियोग राशि का प्रस्ताव निदेशालय स्तर एवं क्षेत्रीय कल्याण कार्यालयों के माँग के आधार पर की गयी है ।

३- प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

४- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

५- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपनिदेशक(मुख्यालय), अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- सं०सं०-८ डी०(पुनर्विनियोग)-२२-११/२०१६- ६९ पटना, दिनांक- ९.१.१७
प्रतिलिपि:- अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- सं०सं०-८ डी०(पुनर्विनियोग)-२२-११/२०१६- ६९ पटना, दिनांक- ९.१.१७
प्रतिलिपि:- अनुसूची के प्रतियों के साथ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, उपनिदेशक, कल्याण(मुख्यालय), संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा (८डी०)/सांख्यिकी कोषांग अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



सरकार के सचिव ।

अतिरिक्त/अनुदान

के लिए आवेदन-पत्र।

पुनर्विनियोग

ज्ञाप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001- निदेशन और प्रशासन, 0001-निदेशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड- N2225010010001" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 2801-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई में में ₹24,00,000/- (चौबीस लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त उपबन्ध हेतु

के क्रम में

स्वीकृति के लिए

को उपस्थापित।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग


व्ययन

पदाधिकारी का पदनाम - उपनिदेशक कल्याण (मुख्यालय) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण

पुनर्विनियोग यदि कुछ हो- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष ज्ञाप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 गैरयोजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा, 0002- "छात्रवासों का संधारण" विपत्र कोड- N2225012770002 के 1304-विद्युत प्रभार इकाई में ₹3,63,87,000/- (तीन करोड़ तीसठ लाख सतासी हजार रु०) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001- निदेशन और प्रशासन- 0001-निदेशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड- N2225010010001 के अन्तर्गत 2801-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई में में ₹24,00,000/- (चौबीस लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध प्रस्तावित हैं।


15.12.16

सचिव

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग, पटना

स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण।

अनुसूची: 53-प्रपत्र सं०-212

अनुदान
अनुदान/विनियोग

स० 8डी०(पुनर्विनियोग)०7-०9/2016

बृहत शीर्षक- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-निर्देशन और प्रशासन,
उपशीर्षक-0001-निर्देशन एवं प्रशासन (विपत्र कोडएन 2225010010001)
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277 शिक्षा, 0002- छात्रावासों का संधारण (विपत्र कोड-एन 2225012770002)

मांग संख्या- 44
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा

| शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।(N2225010010001) | | | | | | | शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है।(N2225012770002) | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|---|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|--|--|-----------------------------------|
| विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ। | मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्रायकलन)। | वर्तमान अनुदान। | तात्कालिक प्रायकलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च। | अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान। | कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा। | विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ। | मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्रायकलन)। | वर्तमान अनुदान। | तात्कालिक लिए गए प्रायकलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च। | प्रत्यर्पित राशि। | कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा। |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2801-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ | रु० 5500000 | रु० 5500000 | रु० 7900000 | रु० 2400000 | रु० 7900000 | रु० 1304-विद्युत प्रभार | रु० 40000000 | रु० 36387000 | रु० 33987000 कुल:- 24000000 (चौबीस लाख) | रु० 24000000 24000000 (चौबीस लाख) | रु० 33987000 |
| <p>टिप्पणी- (क) स्तम्भ 1 और 7 में ऐसे लघु और उप-शीर्षक दिखाये जाय, जिनसे इकाई संबंधित हो। (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर, दिखाई जाय। (ग) स्तम्भ 6 से 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए। (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय। (ङ) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पूरा-पूरा पीठ पीठ पर दिया जाय।</p> | | | | | | | | | | | |

[Handwritten Signature]
2/16
विभाग, बिहार